प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/9/25	वकील प्रार्थी उप. / बहस प्रा.पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 23/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/9/25	वकील प्रार्थी उप. / प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
296/प्राप्त्र/2025	05.02.2025	23.09.2025

1. विश्वास श्रृंगी आयु 22 वर्ष आत्मज श्री प्रदीप श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बूंदी
2. मानस श्रृंगी आयु 03 वर्ष पुत्र राघवेन्द्र श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज. जर्ये संरक्षक पिता राघवेन्द्र श्रृंगी आत्मज मोहनलाल श्रृंगी निवासी सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री रामरतन सुमन
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 131 एल आर एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 एल.आर. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. 957 पुराना 863 की खसरा सं. 3079/1851 रकबा 0. 1295 है. खसरा सं. 3081/1854 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा सं. 596 रकबा 1.3355 हैक्टेयर एवं खाता स. 863 पुराना 426 की खसरा स. 3080/1851 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सं. 3082/1854 रकबा 0.0971 हैक्टेयर वाके ग्राम सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2076 प्रस्तुत है। प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि क्रय की है तब से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था एवं नक्शा ऑनलाईन करते समय उक्त नक्शा बदल दिया गया। जिसमें प्रार्थी सं. 2 के खाते की भूमि खसरा स. 3080/1851, खसरा सं. 3079/1851, जो कि प्रार्थी सं. 1 के खाते में दर्ज है से अदला बदली हो गई। इसी प्रकार खसरा सं. 3081/1854 जो कि प्रार्थी सं. 1 के खाते में दर्ज है की भूमि की तरमीम खसरा सं. 3082/1854, जो कि प्रार्थी सं. 2 के खाते में दर्ज है से अदला बदली हो गई। जबकि मौके पर प्रार्थीगण वर्तमान तरमीम के अनुसार काबिज काश्त है। जो कि ओनलाईन नक्शा से बिल्कुल भिन्न है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड दान पत्र से प्राप्त हुई है। एल आर एक्ट की धारा 131 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम मे गलती हुई तो प्रार्थी के काबिज काश्त के आधार पर ही पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवा कर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धी करवाई जा सकती है। गलत नक्शे एवं तरमीम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थीगण को नाजायज परेशान करते है। इस बाबत जब प्रार्थीगण के द्वारा हल्का पटवारी सुवॉसा से दिनांक 06.01. 2025 को निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा एवं तरमीम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का सुवांसा के द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटोल की गई। प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया । प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 06.01.2025 को तहसीलदार तालेडा से नक्शा एवं तरमीम शुद्धी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नही सुनी एवं प्रार्थी की भूमि के नक्शा एवं तरमीम शुद्ध के सबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 957 पुराना 863 की खसरा सं. 3079/1851 रकबा 0.1295 है., खसरा सं. 3081/1854 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा सं. 596 रकबा 1.3355 हैक्टेयर एवं खाता सं. 863 पुराना 426 की खसरा सं. 3080/1851 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा स. 3082/1854 रकबा 0.0971 हैक्टेयर वाके ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बुंदी राज0 में विस्थित भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की वर्तमान काबिज स्थिति एवं दान पत्र के आधार पर देखते हुये वर्तमान कब्जा स्थिति के आधार पर पटवारी की रिपोर्ट तलब कर नक्शा एवं तरमीम शुद्दीकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1816 दिनांक 26.05.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि खाता संख्या नया 957 पराना 863 की खसरा सं. 3079/1851 रकबा 0.1295

Scanned with OKEN Scanner

खसरा सं. 3081/1854 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा सं. 596 रकबा 1.3355 हैक्टेयर में विश्वास श्रृंगी पुत्र प्रदीप श्रृंगी हिस्सा पुर्ण दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार खाता सं. 863 पुराना 426 की खसरा सं. 3080/1851 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सं. 3082/1854 रकबा 0.0971 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बुंदी में नाबालिग मानस श्रृंगी पुत्र राधवेन्द्र श्रृंगी दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त दोनो में खातेदारों के नाम भूमि जरिये दानपत्र के स्वीकृत नामान्तरण 3537 दिनांक 12.08.2024 को दर्ज हुई। उक्त दानपत्र का नामान्तरण दर्ज करते वक्त जो खसरे विश्वास पुत्र प्रदीप श्रृंगी के दर्ज होने थे वह खसरे संहवन से नाबालिग मानस श्रृंगी पुत्र राधवेन्द्र श्रृंगी के दर्ज हो गई जबकि मोके में कब्जा काश्त दानपत्र में अंकित खसरा नम्बरान् अनुसार है। अतः मौका एवं दानपत्र में अंकित खसरा नम्बरान् अनुसार विश्वास श्रृंगी के वर्तमान में दर्ज खसरा संख्या 3079/1851, 3081/1854 की बजाय 3080/1851, 3082/1854 व नाबालिग मानस श्रृंगी के वर्तमान में दर्ज 3080/1851, 3082/1854 की बजाय 3079/1851, 3081/1854 दर्ज किया जाना उचित होना अवगत कराया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या 863 व 957 सम्वत् 2076 वाके ग्राम सुवासा दानपत्र दिनांक 02.08.2024 एवं मौका रिपोर्ट पटवारी मय नक्शा पेश की।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार खाते में नाम शुद्धि की अनुशंषा की।

वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 957 पराना 863 की खसरा सं. 3079/1851 रकबा 0.1295 है., खसरा सं. 3081/1854 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा सं. 596 रकबा 1.3355 हैक्टेयर एवं खाता सं. 863 पराना 426 की खसरा सं. 3080/1851 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा स. 3082/1854 रकबा 0.0971 हैक्टेयर वाके ग्राम सुवांसा तहसील तालेडा जिला बुंदी राज. में विस्थित भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की वर्तमान काबिज स्थिति एवं दान पत्र के आधार पर रेकार्ड में शुद्धि करने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर दानपत्र अनुसार संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि नाबालिग मानस श्रृंगी एवं विश्वास श्रृंगी के खातो में दर्ज खसरा संख्या दानपत्र एवं मौका कब्जा अनुसार नही होकर संहवन से विपरित अंकन हो गया है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर विश्वास श्रृंगी पुत्र प्रदीप श्रृंगी के वर्तमान में दर्ज खसरा संख्या 3079/1851, 3081/1854 की बजाय खसरा संख्या 3080/1851, 3082/1854 व नाबालिग मानस श्रृंगी पुत्र राधवेन्द्र श्रृंगी के वर्तमान में दर्ज खसरा संख्या 3080/1851, 3082/1854 की बजाय खसरा संख्या 3079/1851, 3081/1854 वाके ग्राम सुवासा दर्ज किये जाने के तहसीलदार तालेडा को निर्देश प्रदत्त किये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner